

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 123]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 26 मार्च 2011—चैत्र 5, शक 1933

परिवहन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 मार्च 2011

क्र. एफ-1-6-09-आठ.—मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 65, 95, 96, धारा 138 की उपधारा (2) के खण्ड (ड़) तथा धारा 211 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश मोटरयान नियम, 1994 में निम्नलिखित संशोधन करती है, जो कि उक्त अधिनियम की धारा 212 की उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार पूर्व में दिनांक 10 फरवरी 2011 के मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित किए जा चुके हैं, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 77 में, उपनियम (1 क), के पश्चात्, निम्नलिखित उपनियम अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“(1 ख) उपनियम (1 क) द्वारा अधिरोपित निर्बंधन जहां तक कि उनका संबंध उक्त अधिनियम के प्रवृत्त होने के पूर्व रजिस्ट्रीकृत मंजिली गाड़ियों से है, उक्त अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख अर्थात् 24 नवम्बर 2010 से चार माह की कालावधि तक प्रवर्तित नहीं होंगे.”

F-1-6-2009-VIII.—In exercise of the powers conferred by Section 65, 95, 96, clause (e) of sub-section (2) of Section 138 and Section 211 of the Motor Vehicles Act, 1988 (No. 59 of 1988), the State Government, hereby, makes the following amendment in the Madhya Pradesh Motor Vehicles Rules, 1994, the same having been previously published in the Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary) 10th February 2011 as required by sub-section (1) of Section 212 of the said Act, namely:—

AMENDMENT

In the said rules, in rule 77, after sub-rule (1a), the following sub-rule shall be inserted, namely:—

"(1b) The restrictions imposed by sub-rule (1a) in so far as they are related to the stage carriages registered before the coming into force of said sub-rule, shall not be operative for a period of four months from the date of commencement of said sub-rule, that is 24th November 2010."

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दिलीप राज द्विवेदी, उपसचिव.